प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार की गई है।

रिपोर्ट में 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहूमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढी हुई धातु और उसकी वस्तुऐं, नकली गहने, सिक्के (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण, वो है जो 2015-16 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा जांच में ध्यान में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुये की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय (डीओसी), राजस्व विभाग (डीओआर) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।